HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 10696/2026
URN: CW / 23689U / 2026

Shauryavardhan Singh Son Of Shri Mukesh Singh, Aged About 18 Years, Resident Of G-1, Park Paradise-Ii, 06, Vinayak Enclave, Jagatpura, Jaipur (Raj.)

----Petitioner

Versus

1. University Of Rajasthan, J.l.n. Marg, Jaipur, Through Its Registrar.
2. Head Of Department, Department Of Law, University Of Rajasthan, J.l.n. Marg, Jaipur.
3. Convener, Rulet-2026, Department Of Law, University Of Rajasthan, J.l.n. Marg, Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Mukesh Singh for Mr. Ghanshyam Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Nikhil Kumar Jain for Neelu Sharma

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

<u>Order</u>

<u>09/07/2026</u>

अयाची के अधिवक्ता आज अग्रिम नोटिस पर उपस्थित है।

याचिका के सम्बन्ध में याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय/अयाची संख्या–2 के विधि महाविद्यालय में बी.ए. एलएल.बी. (आनर्स) में प्रवेश हेतु आवेदन किया है। साथ ही उसने 'प्रतिभावान खिलाडी'' *(Meritorious sports person)* से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र भी दिए है। इन प्रमाण–पत्रों के आधार पर वह उक्त महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकारी है। परन्तु अयाची द्वारा याची को उक्त महाविद्यालय में प्रवेश देने सम्बन्धी सूचना नहीं देने के सम्बन्ध में उसने एक प्रतिवेदन *(Representation)* भी अचायीगण को दिनांक 29.5.

2026 को (परिशिष्ट–3) प्रेषित किया है, परन्तु उक्त प्रतिवेदन को अभी तक अयाचीगण द्वारा निस्तारित नहीं किया गया है।

सुना गया।

वर्तमान प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए एवं रिट याचिका में चाहे गए अनुतोष के प्रकाश में यही आदेश पारित किया जाता है कि अयाचीगण याची की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन परिशिष्ट–3 पर आदेश की तिथि से दस दिन के भीतर सकारण आदेश (Speaking Order) पारित करें तथा परिणाम से अविलम्ब याचिकाकार को सूचित करें।

इसी अनुसार यह याचिका एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

25/JITENDRA SINGH PANWAR